कन्द्राय विद्यालय सगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा॰11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन॰ I)Vol–III/957 दिनांक 21.07.2020

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक **07.08.2018** के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत **13** नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। **केन्द्रीय विद्यालय पलामू, जिला - पलामू, (झारखण्ड)** (पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) उपरोक्त स्वीकृत 13 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है :-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	**पलामू, जिला - पलामू, (झारखण्ड)**	**राजकीयकृत प्लस श्री सद गुरु प्रताप हरि उच्च विद्यालय चैनपुर, पलामू, झारखंड, पिन कोड - 822110**

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र **2020-21** के दौरान प्रारम्भ में कक्षा **1** से **5** तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

वि. विजयलक्ष्मी
21/7/20

(डॉ वी. विजयालक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा./कार्मिक)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।

7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. **रांची** को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करें।

8. **प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा), झारखण्ड सरकार ।**

9. उपायुक्त, जिला - **पलामू**, झारखण्ड को जानकारी के लिए सूचनार्थ।

10. अधीक्षण अभियंता केविसं को उनके नोट संख्या एफ़ 110111/410/2018-केविस (मु)/कार्य दिनांक 22.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92

12. सहायक आयुक्त (स्था. 1/ स्था. 2 व 3) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करें।

13. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।

14. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।

15. निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।

16. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

17. अध्यक्षा/सचिव के.वि.सं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।

18. गार्ड फ़ाइल।

*****